

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, उ०प्र०
विशाल काम्प्लेक्स, 19-ए, विधान सभा मार्ग
लखनऊ

सेवा में,

समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी
उत्तर प्रदेश।

पत्रसंख्या : एन०आर०एच०एम० / एस०पी०एम०यू / मातृस्वा० / 105वा-2 / 2013-14 / 1374-75 दिनांक 7.2.2013

विषय : राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत वर्ष 2013-14 हेतु उपकेन्द्रों पर संविदा ए०एन०एम० के पदों की स्वीकृति।

महोदय,

आप अवगत हैं कि प्रदेश में स्थापित सभी उपकेन्द्रों पर न्यूनतम एक ए०एन०एम० की उपस्थिति अनिवार्य है। प्रदेश में वर्ष 2012-13 में उपकेन्द्रों पर ए०एन०एम० के रिक्त पदों के सापेक्ष राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत संविदा ए०एन०एम० स्वीकृत की गयीं थीं एवं इसके अतिरिक्त उन उपकेन्द्रों पर, जहाँ औसतन तीन प्रसव प्रतिमाह से अधिक होते हैं, अतिरिक्त संविदा ए०एन०एम० की व्यवस्था भी की गयी थी।

31 मार्च 2013 तक जनपदों में तैनात संविदा ए०एन०एम० की अद्यतन सूचना के आधार पर वर्ष 2013-14 के लिये कुल 4,587 पूर्व से कार्यरत संविदा ए०एन०एम० की तैनाती/पुनर्अनुबन्ध की स्वीकृति संलग्न जनपदवार फांट के अनुसार प्रदान की जा रही है। वर्तमान में भारत सरकार द्वारा नियमित पदों पर ए०एन०एम० की तैनाती किये जाने के निर्देशों के साथ वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिये प्रदेश में उपकेन्द्रों पर संविदा पर तैनात ए०एन०एम० की रू० 10,000.00 प्रति ए०एन०एम० प्रति माह की दर से 6 माह के मानदेय की धनराशि स्वीकृत की गयी है। प्रदेश में महानिदेशक परिवार कल्याण के स्तर से ए०एन०एम० के रिक्त पदों पर नियमित तैनाती हो जाने के पश्चात भी पद रिक्त होने की स्थिति में जनपदों द्वारा पुनः रिक्त पदों तथा L-1 प्रसव इकाईयों की सूचना प्रेषित किये जाने पर भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी। संविदा ए०एन०एम० के स्वीकृत पदों के सापेक्ष रिक्त पदों को प्राथमिकता पर भर लिया जाय तत्पश्चात बचे हुये पदों को अधिकतम प्रसव उपलब्ध वाले उपकेन्द्रों पर तैनात किया जाय। इन संविदा ए०एन०एम० की औचित्यपूर्ण तैनाती मुख्य चिकित्साधिकारी की ही जिम्मेदारी है।

जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत उपकेन्द्रों की मान्यता -

- जननी सुरक्षा योजना में संस्थागत प्रसवों को बढ़ावा देने के लिये जनपद में सरकारी भवनों में स्थापित उपकेन्द्रों के न्यूनतम 50 प्रतिशत उपकेन्द्रों को मान्यता प्रदान की जानी है।
- इस कार्य के लिये ऐसे सभी उपकेन्द्र जहाँ की ए०एन०एम० प्रसव कराने में कुशल हों एवं ऐसे उपकेन्द्र जहाँ पर पूर्व से प्रसव हो रहे हों किन्तु एक्स्टेंडेशन न होने की वजह से प्रसूताओं को जननी सुरक्षा योजना का लाभ न मिल पा रहा हो, उन्हें प्राथमिकता पर चिन्हित कर उपलब्ध धनराशि से मानक पूरे कराकर शीघ्रातिशीघ्र एक्स्टेंडिट किये जाने की कार्यवाही पूर्ण कर लें जिससे उनके मानक पूरे हो जाय और उन केन्द्रों पर जननी सुरक्षा योजना का लाभ आरम्भ किया जा सके।
- राज्य स्तर पर 1621 संविदा ए०एन०एम० के पद पूल में उपलब्ध हैं जिनका आबंटन जनपदों की आवश्यकता एवं औचित्य पूर्ण मांग के आधार पर किया जायेगा। कुछ जनपदों द्वारा अवगत कराया गया

1
✓

है कि नियमित रूप से तैनात प्रसव कार्य में कुशल ए0एन0एम0 के सेवानिवृत्त हो जाने के कारण उपकेन्द्र निष्क्रिय हो गये हैं ऐसी सेवानिवृत्त ए0एन0एम0 की उसी उपकेन्द्र पर तैनाती के लिये संविदा पद रिक्त न होने पर मांग की जा सकती है।

- अपने जनपद में अधिक से अधिक उपकेन्द्रों को जननी सुरक्षा योजना के लिये अधिकृत एवं क्रियाशील किये जाने का सम्पूर्ण उत्तर दायित्व मुख्य चिकित्साधिकारी एवं उनके सहयोगियों का है।

संविदा ए0एन0एम0 का कार्य मूल्यांकन

- संविदा ए0एन0एम0 के माध्यम से जनपद के स्वास्थ्य संकेतकों व कार्यक्रमों में प्रगति लाने के लिये आवश्यक है कि पूर्व से कार्यरत सभी संविदा ए0एन0एम0 के वर्ष 2012-13 में किये गये कार्यों का मूल्यांकन प्रारूप-2 ए पर कर लिया जाय एवं मूल्यांकन के पश्चात् प्रसव सेवाओं में कुशल ए0एन0एम0 को एल-1 इकाईयों पर तैनाती हेतु वरीयता प्रदान की जाय। प्रारूप 2-ए इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित है।
- प्रति माह संविदा ए0एन0एम के कार्यों का मूल्यांकन कर संविदा कर्मों को मूल्यांकन परिणाम से पत्र द्वारा अवश्य अवगत कराया जाय।
- प्रपत्र में अंकित सभी उपलब्धियों को संविदा ए0एन0एम0 के क्षेत्र के कार्य भार के सापेक्ष आंका जाय। उपलब्धियों के आंकलन के लिये एच0एम0आई0एस0 व एम0सी0टी0एस0 पर अंकित सूचनाओं को ही आधार माना जाय।
- 50 प्रतिशत से कम उपलब्धि को खराब, 51-65 प्रतिशत के मध्य उपलब्धि को संतोषजनक एवं 65 प्रतिशत से अधिक उपलब्धि होने पर अच्छा माना जाय।
- किसी भी माह में इस प्रपत्र पर मूल्यांकन परिणाम 10 से कम पाये जाने पर संविदा कर्मों को चेतावनी जारी की जाय जिसकी सूचना जिला स्वास्थ्य समिति को भी दी जाय। जिससे सभी संविदा कर्मियों को कार्य में सुधार के लिये प्रोत्साहित किया जा सके।
- यदि किसी कर्मों का कार्य मूल्यांकन सतत रूप से 03 माह तक खराब पाया जाय तो उसका विकल्प ढूँढने की कार्यवाही आरम्भ की जा सकती है।
- सभी दस्तावेजों का सुचारु रूप से रख-रखाव मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय पर किया जाय।

वित्तीय स्वीकृति-

वर्तमान में जनपदों से प्राप्त संविदा ए0एन0एम0 के भरे हुये पदों की 31 मार्च 2013 तक की सूचना के आधार पर वर्ष 2013-14 के लिये कुल 4,587 संविदा ए0एन0एम0 की तैनाती/पुनर्अनुबन्ध की स्वीकृति संलग्न जनपदवार फांट के अनुसार प्रदान की जा रही है। वर्तमान में भारत सरकार द्वारा नियमित पदों पर ए0एन0एम0 की तैनाती कर सभी रिक्तियां भरे जाने के निर्देशों के साथ वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिये प्रदेश में उपकेन्द्रों पर संविदा पर तैनात ए0एन0एम0 के लिये रू0 10,000.00 प्रति ए0एन0एम0 प्रति माह की दर से 6 माह के मानदेय की धनराशि स्वीकृत की गयी है। इस क्रम में वर्ष 2013-14 में छः माह के मानदेय के भुगतान हेतु आवश्यक धनराशि संलग्न फांट के अनुसार जनपदों की जिला स्वास्थ्य समिति के आर0सी0एच0 फ्लैक्सीपूल खाते में एफ0एम0आर0 कोड संख्या FMR Code A.8.1.1.1.f में अवमुक्त की जा रही है।



- संविदा ए0एन0एम0 की नवीन तैनाती अथवा पुनर्अनुबन्ध हेतु पूर्व में एस0पी0एम0यू0 कार्यालय के पत्रसंख्या :एन0आर0एच0एम0/एस0पी0एम0यू0/मातृस्वा0/105/2012-13/527 दिनांक 15.06.2012 द्वारा प्रेषित प्रसव इकाइयों (डिलीवरी प्वाइंट) पर संविदा कर्मियों की तैनाती हेतु सामान्य नियम पूर्ववत् लागू होंगे।
- आवंटित धनराशि का व्यय शासकीय एवं विभागीय नियम एवं शर्तों का पालन करते हुए किया जाय।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी अवश्य ही उपर्युक्तानुसार सभी संविदा कर्मियों की नियुक्ति की कार्यवाही पूर्ण कर प्रारूप-1 पर एस0पी0एम0यू0 कार्यालय को सूचना प्रेषित कर दें।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं अन्य चिकित्सालय प्रभारी अपने अधीन कार्यरत संविदा कर्मियों के कार्यों का प्रत्येक माह प्रारूप-2 ए पर कार्य मूल्यांकन करें एवं मूल्यांकन के आधार पर सभी कर्मियों को सूचित करें।
- समस्त अभिलेखों को मुख्य चिकित्सा अधिकारी के स्तर पर संकलित किया जाय।
- उपर्युक्त धनराशि के उपयोग में किसी प्रकार की अनियमितता के लिए जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी उत्तरदायी होंगे।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

 23/6/13
 (अमित कुमार घोष)
 मिशन निदेशक

पत्रसंख्या :एन.आर.एच.एम./एस.पी.एम.यू./मातृ.स्वा./सं.क./105/

तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. महानिदेशक, परिवार कल्याण, परिवार कल्याण महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चि0स्वा0 एवं प0क0, उत्तर प्रदेश।
6. वित्त नियंत्रक, एन0आर0एच0एम0, एस0पी0एम0यू0, लखनऊ।
7. समस्त मण्डलीय परियोजना प्रबन्धक- एन0आर0एच0एम0, उत्तर प्रदेश।
8. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबन्धक-एन0आर0एच0एम0, उत्तर प्रदेश।
9. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
10. गार्ड फाइल।


 (अमित कुमार घोष)
 मिशन निदेशक

संविदा ए0एन0एम0 हेतु कार्य मूल्यांकन प्रपत्र

मूल्यांकन माह
 संविदा कर्मी का नाम
 तैनाती स्थल:
 माह में अनुपस्थित रहे कार्य दिवसों की संख्या:.....

क्र0सं0	कार्य उत्तरदायित्व	खराब	संतोषजनक	अच्छा
1	ए0एन0एम0 द्वारा गत माह में किये गये वी0एच0एन0डी0 सत्रों की संख्या			
2	गत माह में कितनी गर्भवती महिलाओं को पंजीकृत किया गया			
3	गत माह में कितनी पंजीकृत गर्भवती महिलाओं को MCTS पोर्टल पर नम्बर अंकित कराया गया			
4	गत माह में कितनी गर्भवती महिलाओं की हीमोग्लोबिन की जांच की गयी			
5	गत माह में कितनी गर्भवती महिलाओं का ब्लड प्रेशर नापा गया			
6	गत माह में कितनी गर्भवती महिलाओं की तीन प्रसव पूर्व जांचे पूर्ण की गयीं			
7	गत माह में उपकेन्द्र पर कितने प्रसव कराये			
8	गत माह में पर कितने घरेलू बी0पी0एल0 प्रसव कराये			
9	गत माह में कितनी उपकेन्द्र क्लीनिक संचालित की गयीं			
10	गत माह में कितने बच्चे पूर्ण प्रतिरक्षित किये गये			

आंकलन	बिन्दु
खराब	0
संतोषजनक	1
अच्छा	2

इस प्रपत्र पर प्रति माह मूल्यांकन किया जाय एवं संविदा कर्मी को मूल्यांकन परिणाम से पत्र द्वारा अवगत कराया जाय। उपर्युक्त सभी उपलब्धियों को संविदा ए0एन0एम0 के क्षेत्र के कार्य भार के सापेक्ष आंका जाय। उपलब्धियों के आंकलन के लिये एच0एम0आई0एस0 व एम0सी0टी0एस0 पर अंकित सूचनाओं को ही आधार माना जाय। 50 प्रतिशत से कम उपलब्धि को खराब, 51-65 प्रतिशत के मध्य उपलब्धि को संतोषजनक एवं 65 प्रतिशत से अधिक उपलब्धि होने पर अच्छा माना जाय। किसी भी माह में इस प्रपत्र पर मूल्यांकन बिन्दु 10 से कम पाये जाने पर संविदा कर्मी को चेतावनी जारी की जाय।

हस्ताक्षर
 प्रभारी चिकित्सा इकाई

**APPROVAL OF CONTRACTUAL A.N.M. FOR 2013-14 UNDER
MATERNAL HEALTH**

Sno	District	Approval for existing Contractual ANM's for 6 months in year 2013-14	Budget for ANMs(@Rs10000/ per month)x6 Months in Lakh Rs.
FMR CODE		A.8.1.1.1.f	
1	Agra	105	63.00
2	Mathura	65	39.00
3	Mainpuri	39	23.40
4	Firozabad	53	31.80
5	Aligarh	21	12.60
6	Etah	44	26.40
7	Hathras	33	19.80
8	Kasganj	11	6.60
9	Allahabad	304	182.40
10	Kaushambi	27	16.20
11	Fatehpur	48	28.80
12	Pratapgarh	101	60.60
13	Azamgarh	9	5.40
14	Mau	65	39.00
15	Ballia	10	6.00
16	Bareilly	90	54.00
17	Budaun	11	6.60
18	Pilibhit	57	34.20
19	Shajahanpur	53	31.80
20	Basti	89	53.40
21	Sidharth Nagar	57	34.20
22	Sant Kabir Nagar	89	53.40
23	Banda	109	65.40
24	Chitrakoot	50	30.00
25	Hamirpur	49	29.40
26	Mahoba	64	38.40
27	Faizabad	91	54.60
28	Barabanki	137	82.20
29	Ambedkar Nagar	41	24.60
30	Sultanpur	5	3.00
31	Amethi	76	45.60
32	Gonda	4	2.40
33	Balrampur	74	44.40
34	Srawasti	76	45.60
35	Bahraich	86	51.60
36	Gorakhpur	43	25.80
37	Deoria	50	30.00
38	Kushinagar	50	30.00

Sno	District	Approval for existing Contractual ANM's for 6 months in year 2013-14	Budget for ANMs(@Rs10000/ per month)x6 Months in Lakh Rs.
FMR CODE		A.8.1.1.1.f	
39	Maharajganj	120	72.00
40	Jhansi	96	57.60
41	Lalitpur	27	16.20
42	Jalaun	78	46.80
43	Kanpur Nagar	66	39.60
44	Etawah	29	17.40
45	Auriya	18	10.80
46	Farrukhabad	4	2.40
47	Kanpur Dehat	5	3.00
48	Kannuj	33	19.80
49	Lucknow	33	19.80
50	Sitapur	74	44.40
51	Hardoi	43	25.80
52	Unnao	59	35.40
53	Raebareli	3	1.80
54	Kheri	106	63.60
55	Merrut	76	45.60
56	Ghaziabad	25	15.00
57	Bulandshair	115	69.00
58	Baghpat	84	50.40
59	GB Nagar	25	15.00
60	Hapur	13	7.80
61	Mirzapur	95	57.00
62	Sonebhadra	124	74.40
63	SRN - Bhadohi	60	36.00
64	Moradabad	40	24.00
65	Rampur	39	23.40
66	Bijnor	89	53.40
67	Amroha	61	36.60
68	Sambhal	2	1.20
69	Saharanpur	30	18.00
70	Muzaffer Nager	52	31.20
71	Shamli	1	0.60
72	Chandauli	71	42.60
73	Jaunpur	115	69.00
74	Ghazipur	215	129.00
75	Varanasi	75	45.00
TOTAL		4587	2752.20